धारा-106. शब्द ''सहकारी'' या ''कोआपरेटिव'' का प्रयोग करने की प्रतिषेध- सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम से जिसमें शब्द ''सहकारी'' या उसका अग्रेजी पर्याय ''कोआपरेटिव'' हो, व्यापार या कारोबार नही करेगा।

प्रतिबन्ध यह है िक इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति या उसके हित के उत्तराधिकारी द्वारा ऐसा कोई नाम प्रयुक्त किये जाने पर प्रवृत्त नही होगी जिसमें उस दिनांक को व्यापार किया हो जबकि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 1912 (ऐक्ट संख्या 2,1912) प्रवर्तित हुआ था।

----

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17,1994 द्वारा बढ़ाया गया (15.7.94)

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12,1976 के द्वारा रखे गये (3.7.1975 से प्रभावी)

3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17,1977 के द्वारा बढ़ाये गये